न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या: 48/16 निर्णय दिनांक 30-10-17

1. सोनादेवी पुत्री पूरणनाथ जाति नाथ निवासी चक 7—10 एमजीडी तहसील लूणकरनसर

—अपीलांट

—बनाम—

1. सेवाराम पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी बडेरन तहसील लूणकरनसर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पैरोकारराज

—रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्या 49/16

1. सोनादेवी पुत्री पूरणनाथ जाति नाथ निवासी चसक 7—10 एमजीडी तहसील लूणकरनसर

—अपीलांट

—बनाम—

1. गोमन्दराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी बडेरन तहसील लूणकरनसर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पैरोकारराज

—रेस्पोडेन्ट्स

3. अपील संख्या 50/16

1. सोनादेवी पुत्री पूरणनाथ जाति नाथ निवासी चक 7—10 एमजीडी तहसील लूणकरनसर

—अपीलांट

—बनाम—

1. सेवाराम पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी बडेरन तहसील लूणकरनसर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पैरोकारराज

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. अपील संख्या 51/16

1. ख्यालीराम पुत्र नानूराम साकिन हाल चक 7–10 एमजीडी तहसील लूणकरनसर

बनाम

1. मुखराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी मालकसर तहसील सरदारशहर हाल बडेरन तहसील लूणकरनसर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये पैरोकारराज

अपीलें विरुद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर
दिनांक 05–08–1972

उपस्थितः
1. श्री श्यामदीन, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
2. श्री नन्दराम कासनिया, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने चारों अपीलें उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के निर्णय दिनांक 05–08–1972 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से आवंटन किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा. न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. चारों अपीलों में निर्णीत किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन चारों अपीलों को इस एक ही कोमन निर्णय से निर्णीत किया जा रहा है । इस निर्णय की एक एक प्रति उपरोक्त चारों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने चारों अपीलों में बहस करते हुए बताया कि अपीलांट् एक जागरूक नागरिक है। जिसका पेशा काश्तकारी है। अपीलांट की पुश्तैनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 5/247 तादादी 25 बीघा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

स्थित है। उसके पास ही बडेरन की खसरा नम्बर 478/265, 488/72, 410/265 व खसरा नम्बर 490/102 व 488/72 भूमि रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है। जिसे अमालमाल के साथ सांठ–गांठ कर रेस्पोडेन्ट्स ने आवंटन करवा कर रिकार्ड में दर्ज करवा ली गइ। बडेरन तत्समय उपनिवेशन क्षेत्र के अधीन रहा है। आवंटन आदेश में न तो आदेश का हवाला है ना ही आवंटन तिथि का अंकन है। ना ही कभी टी.सी. आवंटन का हवाला दिया गया है। इस प्रकार समस्त कार्यवाही संदेह से परे नहीं है। रेस्पोडेन्ट को आवंटित आराजी पर आज दिनांक तक कब्जा नहीं हैं जिससे आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य है। रेस्पोडेन्ट न तो आवंटन की पात्रता रखते है ना ही पात्रता थी। आवंटन की समस्त कार्यवाही कूटरचित होने से काबिल खारिज है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर आवंटन बताकर रिकार्ड में अंकर कराकर सरकार की कीमती जमीन हड़प ली है। जबकि मौके पर आज दिनांक तक कब्जा नहीं है। कब्जे के अभाव में आवंटन हक अवसान हो चुके है।

उन्होंने आगे बताया कि 35 बीघा चक बंदी की कीमती जमीन गैर खातेदारी दर्ज है। रेस्पोडेन्ट ने अपने नाम नामान्तकरण दर्ज करवा लिये गये है। अधिकारियों व कर्मचारियों की मिली भगत से सरकार की कीमती जमीन हड़प कर ली है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व कोई विवरण यथा सिलिंग सीमा से अधिक भूमि बाबत् कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गई। जबकि उक्त तथ्य गहरी जॉच का विषय है। अदालत मातहत द्वारा किया गया आवंटन चकबंदी में आवंटन नियमों के प्रतिकूल है। प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रोफार्मा व प्रकिया में नहीं है। प्रार्थना पत्र में भूमिहीन बताया गया है। सक्षम अधिकारी के बिना कोई निर्णय अधिकार क्षेत्र से बाहर स्वतः शून्य व निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। मियांद के संबंध में उन्होंने बताया कि अपील जानकारी से अन्दर मियांद पेश की गई है तथा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने चारों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील गलत तथ्यों पर आधारित होने एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील शिकायत प्रार्थना पत्र की श्रेणी का होने से न्यायालय हाजा मे सुनवाई हेतु मेन्टेबल नहीं है ना ही क्षेत्राधिकार है। अतः अपील इसी स्टेज पर खारिज योग्य है। उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि से अपीलांट का कोई संबंध नहीं है। ना ही वादगत् भूमि में कोई राईट

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

टाईटल व इन्टरेस्ट है। अपीलांट मामलें में पीड़ित एवं प्रभावी पक्षकार नहीं हैं। अपीलांट द्वारा जैर अपील आदेश की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है जबकि अपील में उक्त तथ्य मैण्डटरी है। इस कारण अपीलांट की अपील अन्कम्पलीट होने से खारिज योग्य है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील जनहित में करनी बताई है। जिससे अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जनहित की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है। इसलिए उक्त अपील इसी स्टेज पर खारिज योग्य है। अपीलांट उक्त अपीलों करीब 4 वर्ष उपरान्त पेश की है। जो स्पष्टतः मियांद बाहर है। अपीलांट द्वारा मियांद को कण्डोन करने हेतु ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट को भूमि 1970 के आवंटन नियमों के तहत आवंटित हुई थी। अतः उक्त नियमों के तहत ही कार्यवाही का प्रावधान है। बाद के आवांटन नियम 1975 के तहत अपील पेश करने का अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलांट को अपील पेश करने की कोई लोकस–स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अतः अपीलांट की अपील लोकस–स्टेण्डाई,मियांद बिन्दु साथ–साथ गुणावगुण पर खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में प्रभावी पक्षकार के संबंध में आरआरडी 1995 पेज 227, आरआरडी 2002 पेज 696, आरआटी 2006 पार्ट I पेज 531 (एस.सी.), आरआरडी 1993 पेज 44, प्रमाणित प्रति पेश नहीं करने के संबंध में आरआरडी 1993 पेज 814, आरआरडी 1994 पेज 703, आरआरडी 1994 पेज 457 व मियांद के बिन्दु पर एआईआर 1998 (एससी) पेज 2277, आरआरटी 2007 पार्ट II पेज 939, आरआरडी 1984 पेज 261 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा चारों अपीलें जनहित में करनी बताई गई है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट को किये गये आवंटन को करीब 45 वर्ष उपरान्त चुनौती दी गई है। अपीलांट अपने कथनों व दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित करने में असफल रहा है कि आराजी जैर में उसके हित किस प्रकार प्रभावित हुए है। केवल मात्र जनहित के आधार पर औचित्य विधि पूर्ण उपधारित आवंटन की वैद्यता को प्रश्नगत् बनना वह भी करीब 45 वर्ष उपरान्त नितान्त आधारहीन है। जबकि रेस्पोडेन्ट का आवंटन सहालकार समिति द्वारा बाद जॉच व नियमानुसार किया जाना साबित है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रश्नगत् आवंटन जिला कलेक्टर द्वारा जो कि वर्ष 1972 में किया गया है उक्त आदेश 1970 के नियमों के तहत आवंटित की गई जिसे उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 की धारा 23 में सुना जाना अवांछनिय है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा चारों अपीलें आवंटन के करीब 45 वर्ष उपरन्त प्रस्तुत की है। जबकि न्यायालय के समक्ष विलम्ब को कण्डोन करने हेतु कोई ठोस कारण अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिससे उपरोक्त अपीलों को 45 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत करने व सुनवाई करने का का कोई औचित्य सिद्व प्रतीत होता हो। केवल मात्र जनहित के आधार अपीलांट को अपील की लोकस–स्टेण्डाई प्राप्त नहीं होती है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की चारों अपीलें सुनवाई के क्षेत्राधिकार, मियांद बिन्दु व लोकस–स्टेण्डाई पर खारिज की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.8.1972 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 3-10-12 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर